संख्या-30 /2026/001-ई-4265741/60-3-2026-सी-1930595

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

महिला कल्याण,

उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊरू दिनांकरू 09 सितम्बर, 2026

विषयरू-मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजनान्तर्गत जनपद प्रयागराज में शत-प्रतिशत राज्य पोषित आधार पर कामकाजी महिलाओं के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण 500 की क्षमता के श्रमजीवी महिला छात्रावास के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

कृपया अपने पत्र संख्या-634//निदे0म0क0/अनुदान/सीएम-डब्लूडब्लूएच /2026-27, दिनांक 05.08.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजनान्तर्गत जनपद प्रयागराज में शत-प्रतिशत राज्य पोषित आधार पर कामकाजी महिलाओं के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण 500 की क्षमता के श्रमजीवी महिला छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-49 के पूँजीगत मद में व्यवस्थित लेखाशीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-03-मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासो का निर्माण के मानक मद-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 11500.00 लाख (रू0 एक अरब पन्द्रह करोड़ मात्र) के सापेक्ष (वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 28.03.2026 के आलोक में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमोदित धनराशि रू0 4595.54 लाख (रू0 पैंतालीस करोड़ पन्चान्नबे लाख चौव्वन हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति तथा उक्त अनुमोदित धनराशि रू0 4595.54 लाख का 35 प्रतिशत धनराशि प्रथम किश्त के रूप में रू0 1608.439 लाख (रू0 सोलह करोड़ आठ लाख तैतालिस हजार नौ सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजनान्तर्गत जनपद प्रयागराज में शत-प्रतिशत राज्य पोषित आधार पर कामकाजी महिलाओं के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण 500 की क्षमता के श्रमजीवी महिला छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-49 के पूँजीगत मद में व्यवस्थित लेखाशीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-03-मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासो का निर्माण के मानक मद-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 11500.00 लाख (रू0 एक अरब पन्द्रह करोड़ मात्र) के सापेक्ष (वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 28.03.2026 के आलोक में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमोदित धनराशि रू0 4595.54 लाख (रू0 पैंतालीस करोड़ पन्चान्नबे लाख चौव्वन हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति तथा उक्त अनुमोदित धनराशि रू0 4595.54 लाख का 35 प्रतिशत धनराशि प्रथम किश्त के रूप में रू0 1608.439 लाख (रू0 सोलह करोड़ आठ लाख तैतालिस हजार नौ सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निदेशक, महिला कल्याण के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंरू-

(1) निदेशालय महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु निर्विवादित भूमि की उपलब्धता एवं अन्य विभागों से क्लीरियन्स प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशालय महिला कल्याण का होगा।

(3) निदेशालय महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशालय महिला कल्याण की होगी।

(4) निदेशालय महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशालय महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशालय महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) निदेशालय महिला कल्याण द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(8) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) निदेशालय महिला कल्याण द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(11) निदेशालय महिला कल्याण द्वारा स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(12) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशालय महिला कल्याण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा।

(13) निदेशालय महिला कल्याण द्वारा प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित राज्य सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) योजनान्तर्गत बाट आउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा ।

(15) निदेशालय महिला कल्याण द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु व्यय के प्रस्ताव/वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु पैरा-94 के तहत सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 16,08,43,900/- (रुपये सोलह करोड़ आठ लाख तैंतालीस हजार नौ सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 049 लेखा शीर्षक 4235021030300 मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-म्-4-121-ग्-2026-27 दिनांक 02 सितम्बर, 2026 को प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रेम प्रकाश सिंह)

संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 30 /2026/001-ई-4265741/60-3-2026-सी-1930595, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितरू-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, महिला कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

5- महाप्रबन्धक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।